न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 48/2025
जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2025/223

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		मोहम्मद इरफान पुत्र अब्दुल हमीद निवासी 67 तेली कॉलोनी पाली (हाल प्रोपराईटर) प्रतिष्ठान मैसर्स वीनस गृह वस्तु भण्डार मण्डिया रोड पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955"

उपस्थित :–
1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30/10/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए, सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से 9 जब्तसुदा सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 08.08.2025 को प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह, जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स वीनस गृह वस्तु भण्डार मण्डिया रोड़ पाली पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी उपस्थित मिले जिन्होने खुद को फर्म का प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान खालिद पुत्र मो. इलियास निवासी 115 नाडी मोहल्ला पाली एवं विवेक पुत्र चेनाराम हाल डिलीवरी मैन लक्ष्मी इण्डेन गैस पाली की उपस्थिति में प्रतिष्ठान कीं जांच के दौरान 7 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) विभिन्न कम्पनीयों एवं 2 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर (19 किग्रा) पाये गये। जिनके बारे में फर्म मालिक से पुछने एवं मौके पर आवश्यक दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये एवं न ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	29.700	15.600	14.100	858550 S
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	29.700	15.500	14.200	173607
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	14.200	30.100	15.900	14.200	175722 T
4	घरेलू गैस सिलेण्डर	HP	14.200	29.700	15.500	14.200	291954 L
5	घरेलू गैस सिलेण्डर	HP	14.200	29.900	15.800	14.100	311487 S
6	घरेलू गैस सिलेण्डर	HP	14.200	26.900	15.300	11.600	085755 S
7	घरेलू गैस सिलेण्डर	HP	14.200	15.900	15.900	0.000	33417 S
8	घरेलू गैस सिलेण्डर	IOCL	19.000	19.400	19.400	0.000	027807
9	घरेलू गैस सिलेण्डर	HP	19.000	32.000	19.400	12.600	0503809

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह संबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मनोज कुमार पुत्र घेवरराम निवासी 188, महाराणा प्रताप नगर पाली हाल मैनेजर मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का अवैध भण्ड़ारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 09 गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

हमने प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान मैसर्स वीनस गृह वस्तु भण्डार मण्डिया रोड पाली पर घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान खालिद पुत्र मो. इलियास निवासी 115 नाडी मोहल्ला पाली एवं विवेक पुत्र चेनाराम हाल डिलीवरी मैन लक्ष्मी इण्डेन गैस पाली की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में कुल 09 गैस सिलेण्डर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पाये गये जिसके द्वारा अप्रार्थी घरेलु गैस सिलेण्डरों 07 एवं 02 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं जब्तशुदा 09 गैस सिलेण्डर को कब्जे में लेकर मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवसं विनियमन) आदेश 2000 के तहत की है। साथ ही अप्रार्थी भी वक्त कार्यवाही यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहे कि उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं हो रहा था। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर कुल 09 गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा गैस सिलेण्डरो के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 09 गैस सिलेण्डरों को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेंषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा गैस सिलेण्डरों को सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खादय एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों का निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली